न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी शिवप्रसाद एम. नकाते (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 56 /2020 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री कैलाशचन्द्र पुत्र मिठु बलाई, निवासी मु. पो. देवरिया, तहसील फुलियाकलां **बनाम** पटवारी अशोक कुमार मीणा पटवार हल्का देवरिया हाल निवास अरवड पटवार घर तहसील कार्यालय फुलियाकलां

——अपीलार्थी ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :— प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांक : 23-09-2020

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत पटवारी अशोक कुमार मीणा पटवार हल्का देवरिया हाल निवास अरवड पटवार घर तहसील कार्यालय फुलियाकलां के विरूद्ध दिनांक 11.09.2020 को प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल आर्डर सं. 47 एफ 046889 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 10.07.2020 को पटवारी अशोक कुमार मीणा पटवार हल्का देवरिया हाल निवास अरवड पटवार घर तहसील कार्यालय फुलियाकलां को प्रस्तुत किया।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 17.09.2020 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को सूचना पत्र जारी किया गया तथा प्रत्यर्थी पटवारी अशोक कुमार मीणा पटवार हल्का देवरिया हाल निवास अरवड पटवार घर तहसील कार्यालय फुलियाकलां द्वारा पत्रांक/सू.अ./स्पे. 1 दिनांक 23.09.2020 से रिपोर्ट जरिये ई मेल प्राप्त हुई। प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना के संबंध में पटवारी अशोक कुमार मीणा पटवार हल्का देवरिया हाल निवास अरवड पटवार घर तहसील कार्यालय फुलियाकलां ने निम्न प्रकार रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं —

1. अपीलार्थी द्वारा प्रेषित कोई आवेदन प्रत्यर्थी को नही दिया गया एवं न ही डाक द्वारा प्राप्त हुआ। न्यायालय सम्मन आदेश ई मेल से प्राप्त आधार पर सूचना तैयार कर जरिये डाक अपीलार्थी को भिजवा दी गयी है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा सूचित कर दिए जाने से अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती हैं।

आदेश आज दिनांक 23-09-2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर जारी किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा